


राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-115/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुमन कुमारी बढासरा पुत्री श्री केशर सिंह बढासरा, नर्स द्वितीय (मैरिट क्रमांक 7767) प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियन्त्रक संलग्न चिकित्सालय, ने राजस्थान राजपत्र में दिनांक 10.05.2018 में उपनाम परिवर्तन करने हेतु प्रकाशित करवाये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8(क) में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार अपना नाम श्रीमती सुमन कुमारी बढासरा पुत्री श्री केशर सिंह बढासरा के स्थान पर श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री केशर सिंह बढासरा किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती ;


  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-115/2018/1559

दिनांक:- 6/11/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियन्त्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में यथास्थान उक्तानुसार नाम संशोधित का इन्द्राज कर पालना से अवगत करावे ।
2. श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री केशर सिंह बढासरा नर्स -2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें ।
4. आदेश/निजी पत्रावली ।

  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर